

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>न तो मकान को पैतृक माना है न ही अपूर्णीय क्षति होना माना है एवं घेवरराम वगैरा के वाद प्रार्थना पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया गया है एवं इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय से स्थगन तथ्यों को छुपा कर प्राप्त किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 3.2.2021 को ही उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया था एवं इसी दिवस को एक तरफा स्थगन आदेश प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय से स्थगन आदेश पैतृक सम्पति होने तथा मुआवजा दिया जाने के बिन्दु पर प्राप्त किया गया था वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2019 बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के अनुसार सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर घेवरराम व शैतानराम का न तो कब्जा माना है न ही जैर निगरानी आराजी को पैतृक माना है तथा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में नहीं मानते हुए सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन खारिज किया है इस प्रकार अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन घेवरराम व शैतानराम अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है ऐसी स्थिति में तथ्यों को छुपा कर स्थगन प्राप्त किया गया उसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा वकील प्रार्थी भी लम्बे समय से अनुपस्थित है। इससे प्रकरण को लम्बित किया जाना भी परिलक्षित होता है।</p> <p>परिणामस्वरूप पत्रावली में पूर्व में दिनांक 3.2.2021 को पारित स्थगन आदेश को पुनर्विलोकित किया जाता है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.3.2021 को स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। स्थगन पर अंतिम बहस हेतु मूल निगरानी के साथ दिनांक 21/12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">A जिला कलेक्टर, पाली जिन्ना कलेक्टर, पाली</p> <p>29/12/20 पत्रावली का जज घेरा है। पत्रावली के स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। कतः पत्रावली निर्णित हो चली है अतः मूल निगरानी के तिलग हो।</p> <p style="text-align: right;">A जिला कलेक्टर, पाली</p>	

